तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

03.11.2025

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई है। पूर्व में दिनांक 15.10.2025 को उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी जा चुकी है।

प्रार्थी ने एक पुनरावलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र अधीन 86 एल. आर. एक्ट व 151 सी.पी.सी इस आशय का पेश किया है कि–

1. उभयपक्षों के मध्य पारिवारिक भूमि खसरा नंबर 61 रकबा 2.80 है0 व 72/1229 रकबा 0.06 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.86 है0 भूमि के विभाजन का एक वाद नंबर 60/17 न्यायालय हाजा में विचाराधीन था। उक्त प्रकरण में उक्त प्रकरण मे उभयपक्षो ने डिडायच ग्राम मे दिनाक 15. 06.2018 को आयोजित न्याय आपके द्वार अभियान के तहत आपसी समझाईश से उक्त भूमि का बटवारे का राजीनामा हुआ था।
2. उक्त बटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 72/1229 व खसरा नम्बर 61 का मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन होने की सहमति हुई थी जिसके आधार पर उसी दिन दिनांक 15.06.2018 को पटवारी हल्का ने मौके पर उभयपक्षो के हिस्से की भूमि का कब्जे के अनुसार माप करके नजरी नक्शा तैयार किया था जिसमे हल्का पटवारी ने मौके पर कब्जे के अनुसार पूर्व पश्चिम, दिशा मे कब्जे के अनुसार नक्शा तैयार करने की बात कहकर वादी एवं प्रतिवादी की सहमति के हस्ताक्षर करवाये थे। इस मौखिक सहमति के पश्चात उसी दिन उक्त प्रकरण का निस्तारण कर वाद की डिकी बनाने के आदेश श्रीमान उपजिला कलेक्टर साहब ने दे दिये। नकल निर्णय दिनांक 15.06.2018 व नक्शा पटवारी संलग्न है।
3. इस प्रकरण की सहमति के पश्चात वादी अपने हिस्से की दक्षिण दिशा में स्थित भूमि को निर्बाध रूप से काश्त कर रहा है।
4. उक्त वाद पत्र मे प्रतिवादी प्रार्थी ने गत माह के प्रारम्भ मे अपने हिस्से की भूमि के राजस्व रिकार्ड लेने के लिए हल्का पटवारी के पास गया तो पता चला कि उक्त प्रकरण में निर्णित डिकी का कभी अमल ही नही हुआ।
5. इस बारे मे पटवारी हल्का डिडायच को दिनांक 15.06.2018 के निर्णय की पालना करने को कहाँ तो उन्होने बताया कि राजीनामे मे तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा नक्शे में जो विभाजन दर्शाया गया है कि भौतिक स्थिति मौके के अनुसार सही नही हाने से डिकी का कियान्वयन नही किया जा सका
6. उभयपक्षो के मध्य दिनांक 15.06.2018 को मौके पर जिस तरह से खेत दोनो पक्षो के बीच विभाजित होकर काश्त हो रहे उसी के अनुसार बटवारा करने की सहमति हुई थी तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादी हनुमान को अनुचित लाभ पहुंचाने की मंशा से जो नक्शा तैयार किया उसमे बिना दिशा दर्शाये खे[illegible] समान हिस्सो मे बाटने की बात प्रार्थी को समझा [illegible] प्रार्थी/प्रतिवादी सन्तुष्ट हो गया था [illegible] द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद जब रिपो[illegible] तो उस नक्शे मे प्रार्थी के हिस्से के खेतो का [illegible]ारा उत्तर–दक्षिण दिशा में अंकित किया गया जो मौके की स्थिति से विपरित था।
7. प्रार्थी/प्रतिवादी ने जो विभाजन खसरा नम्बर 61 मे मौके पर मौजूद है वह पूर्व पश्चिम दिशा में विभाजित है जिसमे प्रार्थी/प्रतिवादी का दक्षिणी हिस्सा है तथा यादी का उत्तर दिशा का हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.07 14:23:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए

8. मौके पर वर्तमान मे भी प्रार्थी/प्रतिवादी के हिस्से का खेत दक्षिण दिशा में है तथा वादी का खेत उत्तर दिशा में है।
9. वर्तमान मे प्रार्थी/प्रतिवादी व वादी के खेत स्पष्ट रूप से विभाजित है। प्रार्थी प्रतिवादी के हिस्से के खेत मे बाजरे की फसल है जबकि वादी के खेत में इस समय वर्षो से अमरूदो का बगीचा लगा है। दोनो के खेत पूर्व पश्चिम दिशा ने तार फैन्सिग से विभाजित है इसके अलावा प्रार्थी / प्रतिवादी के हिस्से के खेत मे बिजली विभाग की डी.पी लगी हुई है जिसका कनेक्शन प्रार्थी की बारिग में है तथा इसी हिस्से में प्रार्थी ने चारा व कृषि यन्त्र रखने का बाडा एवं रात मे रूकने की दृष्टि से कमरे भी बना रखे है।
10. हल्का पटवारी की दिनांक 15.06.2018 के विभाजन के नजरी नक्शे से मौके पर काबिज उभयपक्षो के कब्जे की पुष्टी नही होती वही एक महत्वपूर्ण बिन्दू यह भी है कि आलोच्य नक्शे में जो विभाजन दर्शाया गया है उसमे वादी का हिस्सा टोंक सवाई माधोपुर रोड के फन्ट मे आ गया। जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी का हिस्सा उसके पीछे दर्शाने से भी प्रार्थी/प्रतिवादी के अधिकार प्रभावित होते है।
11. नजरी नक्शा दिनाक 15.06.2018 मौके की स्थिति से मेल नही खाने के कारण न्यायालय के निर्णय की पालना में तकनीकी समस्या आ रही है यह नजरी नक्शा वादी के पक्ष मे होने से वह इसे दुरूस्त कराने मे रूचि नहीं ले रहा ।
12. उक्त तकनीकी खामी का पता जून माह वर्ष 2024 में पटवारी हल्का से बातचीत के बाद संज्ञान मे आया है इसलिए नक्शा दिनांक 15.06.2018 को मौका स्थिति के अनुसार दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है।
13. स्वप्रेरणा से अथवा किसी पक्षकार के आवेदन पर उक्त तकनीकी खामी को दुरूस्त करने का अधिकार है उक्त दुरुस्ती से न्यायालय के मूल आदेश राजीनामा दिनाक 15.06.2018 की प्रकृति मे काई परिवर्तन नही होगा एवं न ही उभयपक्षो के हित प्रभावित होगे। इसके विपरित मौके की स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट आने के बाद न्यायालय के निर्णय की कियान्विती होना संभव हो सकेगा।
14. अंत प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन (रिव्यू) मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मूल पत्रावली 60/2017 न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा उनवान हनुमान बना धन्ना लाल निर्णय दिनांक 15.06.2018 तलब फरमाई जाकर मौके की रिपोर्ट के अनुसार नजरी नक्शे को दुरूस्त किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

1. प्रार्थी हनुमान की और से माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2018 उनवानी हनुमान बनाम धन्नालाल मु. 60/17 की इजराय बाबत इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें विपक्षी धन्नालाल द्वारा यह प्रार्थना पत्र बाबत रिव्यू प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नही होकर खारिज होने योग्य है क्योकि रिव्यू प्रार्थना पत्र उसी वाद पत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो कि विपक्षी धन्नालाल द्वारा प्रस्तुत नही किया है और इजराय में रिव्यू प्रार्थना पत्र कानून प्रस्तुत नहीं हो सकता इसलिए प्रार्थना पत्र रिव्यू निरस्त होने योग्य है।
2. उक्त इजराय माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.06.2018 के सम्बंध में प्रस्तुत की गई है। यदि विपक्षी धन्नालाल को उक्त निर्णय से कोई आपत्ती थी तो उसको अपील प्रस्तुत करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.07 14:23:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील मे जारी हुए

चहिये था। इसलिये रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

3. रिव्यू प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 02 में बंटवारे अनुसार मौके पर नाप कर नजरी नक्शा तैयार किया जाना एवं सहमति स्वरुप हस्ताक्षर होना स्वीकार है बकिया इबारत जिस प्रकार दर्ज की है स्वीकार नही है।
4. रिव्यू प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 04 में माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना नही होने पर ही इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है
5. खसरा नम्बर 61 में कोई बगीचा नहीं है।
6. विपक्षी धन्नालाल को माननीय न्यायालय के निर्णय की पूर्ण जानकारी है और उसने अपनी सहमति स्त्वरुप अपने हस्ताक्षर किए हैं।
7. विपक्षी धन्नालाल ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र गलत एवं निराधार तरीके से प्रकरण में देरी ना करने की गरज से प्रस्तुत किया है। तथा इजराय में रिव्यू प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होकर खारिज होने योग्य हैं।
8. विपक्षी धन्नालाल ने निर्णय दिनांक 15.06.2018 के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की हैं। और इस रिव्यू प्रार्थना पत्र के रिलीफ पार्ट में मूल पत्रावली संख्या 60/17 को तलब करवाकर मौके की रिपोर्ट के नक्शे को दुरुस्त करवाने बाबत माननीय न्यायालय से निवेदन किया है। जिसकी प्रकृति ऐसी है कि विपक्षी मूल निर्णय को रिव्यू करवाना चाहता है जबकि रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से निर्णय को बदला नही जा सकता है इसलिए रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।
9. माननीय न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत दिनांक 15.06.2018 को मौके पर ही पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाकर निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नही है और यदि कोई कमी थी तो वह सिर्फ अपील के माध्यम से ही दुरुस्त हो सकती थी जो विपक्षी ने अपील प्रस्तुत नहीं की है। और गलत एव निराधार तरीके से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किर दिया है जो निरस्त होने योग्य है।
10. माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2018 आपसी सहमति से निर्णय किया गया है जिसके सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ती है तो वह रिट के माध्यम से ही कार्यवाही कर सकता है इसलिए विपक्षी धन्नालाल द्वारा प्रस्तुत यह रिव्यू प्रार्थना पत्र मेन्टिनेबल नही होने के कारण निरस्त होने योग्य है।
11. अतः जवाब रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षी धन्नालाल द्वारा प्रस्तुत यह रिव्यू प्रार्थना पत्र मय [illegible] खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं [illegible] प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का [illegible] किया। मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर [illegible] किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

न्याय आपके द्वार अभियान 2018 में न्यायालय हाजा के लंबित प्रकरण मु0न0 60/17 उनवान हनुमान बनाम धन्ना में उभयपक्षों द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.07 14:23:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
	आराजीयात का आपसी सहमति से बंटवारा किये जाने में सहमति प्रदान की है। उक्त राजीनामे पर उभयपक्षों के हस्ताक्षर भी है, जिस कारण न्याय आपके द्वार अभियान 2018 में निर्णित उक्त निर्णय को अवैध घोषित नही किया जा सकता है। यदि प्रार्थी को उक्त निर्णय से कोई आपत्ति थी तो वह उक्त निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील पेश करनी चाहिये थी, परन्तु प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अवगत कराया कि उनके द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध आदिनांक कोई अपील पेश नही की है। अतः मेरी विनम्र राय में इस पुनरावलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र अधीन 86 एल.आर. एक्ट व 151 सी.पी.सी को को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह पुनरावलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र अधीन 86 एल.आर. एक्ट व 151 सी.पी.सी खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.07 14:23:11 IST
Reason: SelfAttested